

# राजस्थान पैरा मेडिकल कॉसिल, जयपुर

(प्लाट नं. - 6, एवरेस्ट कॉलोनी, नियर अपेक्ष सॉल, लाल कोठी, जयपुर)

क्रमांक: पैरा मेडि. कॉ./ काउन्सिलिंग / 2019/ ८१५०

दिनांक: २६.०८.१९

## सार्वजनिक सूचना:-

समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर के परिपत्र क्रमांक 15265 दिनांक 23.02.2018, संशोधित परिपत्र क्रमांक 15633 दिनांक 27.02.2018 एवं परिपत्र क्रमांक 36546 दिनांक 21.06.2019 के अनुसरण में सार्वजनिक सूचना जारी की जाती है कि :—

“राजस्थान पैरा मेडिकल कॉसिल, जयपुर द्वारा डिप्लोमा पैरा मेडिकल पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण हेतु आयोजित प्रथम ऑन-लाईन काउन्सिल में अति पिछड़ा वर्ग (More Backward Class) के अभ्यर्थी के पास यदि अन्य पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण-पत्र है, ऐसे अभ्यर्थियों को अति पिछड़ा वर्ग (More Backward Class) की सीट पर ज्वाइनिंग करवावें, (अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु जारी जाति प्रमाण पत्र जिसमें अति पिछड़ा वर्ग की जाति का स्पष्ट उल्लेख हो तथा आवेदक द्वारा अति पिछड़ा वर्ग लाभ के लिये आवेदन किया हो, को अति पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित उक्त जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण लाभ देय होगा।)

लेकिन उस अभ्यर्थी से यह शपथ-पत्र प्राप्त किया जावें कि जब भी राज्य सरकार द्वारा एम.बी.सी. (More Backward Class) जाति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है, उस समय अभ्यर्थी द्वारा जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा एम.बी.सी. (More Backward Class) जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रों की प्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है।

✓ २६/८/१९  
(सोमदत्त दीक्षित)  
आर.ए.एस.  
रजिस्ट्रार

क्रमांक: पैरा मेडि. कॉ./ काउन्सिलिंग / 2019/ ८१५०

दिनांक: २६.०८.१९

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निजी सचिव, रजिस्ट्रार, राजस्थान पैरा मेडिकल कॉसिल, जयपुर।
2. प्रधानाचार्य, समस्त सम्बद्ध पैरा मेडिकल कॉलेज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. सूचना बोर्ड, राजस्थान पैरा मेडिकल कॉसिल, जयपुर।
4. प्रभारी, सर्वर को भेजकर लेख है कि आज ही वेबसाईट पर अपलोड करावें।
5. रक्षित पत्रावली।

✓ २६/८/१९  
रजिस्ट्रार

राजस्थान सरकार  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

लैट ३/१, सत्रमहल नेशनल-ली परिस, लिंगिल आईना, जयपुर

फ्रमांक : एफ. ११(१२५)एम बी रो./आरएएडपी/सामाजिक/२०१२/३६५१६

जयपुर दिनांक २१-६-१९

### परिपत्र

राज्य सरकार के राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग (राज्य में शैक्षणिक सरस्थाओं की सीटों में प्रवेश एवं राज्य सेवाओं में नियुक्तियों एवं पदों में आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, २०१९ (अधिनियम संख्या २/२०१९) एवं समय-समय पर इस संबंध में जारी परिपत्रों की अनुपालना में राज्य में अति पिछड़ा वर्ग को अर्थात् पाच जातियों यथा १. बजारा, बालदिया, लवाना २. गाडिया लोहार गाडोलिया ३. गुजर, गुर्जर ४. राईका, रेवारी, देवारी ५. गडरिया (गाडरी), गायरी को शैक्षणिक सरस्थाओं की सीटों में प्रवेश एवं राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों एवं पदों में आरक्षण दिया जाना है।

इस हेतु उक्त वर्णित जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही अति पिछड़ा वर्ग का लाभ देय होगा।

राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि उपरोक्त वर्णित प्राप्तानों के अन्तर्गत राज्य में शैक्षणिक संस्थाओं की सीटों में प्रवेश एवं राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों एवं पदों में नियमानुसार अति पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित उक्त पांच जातियों के अन्यर्थियों को कतिपय विभागों, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड तथा राज्य के विश्वविद्यालय एवं शैक्षणिक संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र के आधार पर अति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का लाभ दिये जाने में सशाय की स्थिति है। इस क्रम में पूर्व में भी राज्य सरकार द्वारा संशोधित परिपत्र फ्रमांक १५६३३ दिनांक २७.०२.२०१८ जारी किया गया था (प्रति संलग्न)।

इस संबंध में पुनः यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु जारी जाति प्रमाण पत्र जिसमें अति पिछड़ा वर्ग की जाति का स्पष्ट उल्लेख हो तथा आवेदक द्वारा अति पिछड़ा वर्ग लाभ के लिये आवेदन किया गया हो, को अति पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित उक्त जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण का लाभ देय होगा।

(अखिल अरोरा)  
प्रमुख शासन सचिव

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग  
जी ३/१, राजमहल रेजीडेंसी ऐरिया, सिविल लाईन्स काटक, जयपुर।  
क्रमांक :एफ11(125)एमबीसी/आरएण्डपी/ सान्याअवि/2012/

156 ३३

जयपुर दिनांक

22/02/18

संशोधित परिपत्र

राज्य सरकार के समर्संख्यक परिपत्र क्रमांक 15265 दिनांक 23.02.2018 के अनुक्रम में, विधि विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 2(48)/विधि/2/2017 जयपुर दिनांक 17.11.2017 में वर्णित राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य में शैक्षणिक संस्थाओं की सीटों में प्रवेश एवं राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों एवं पदों में आरक्षण) आरक्षण अधिनियम 2017 (अधिनियम संख्या 38/2017) (यथा संशोधित) की धारा 2 डी एवं एफ में अति पिछड़ा वर्ग को अनुसूची में वर्णित किया गया है जिसके अन्तर्गत पांच जातियों यथा 1.बंजारा,बालदिया,लबाना 2.गाडिया लोहार, गाडोलिया 3.गुजर, गुर्जर 4.राईका, रैबारी देबासी 5. गडरिया (गाडरी),गायरी को रखा गया है।

कार्मिक विभाग द्वारा जारी की गयी अधिसूचना क्रमांक एफ 7 (1)डीओपी/ए-२/2017 दिनांक 21.12.2017 तथा आदेश क्रमांक प.7 (1)कार्मिक/क-२/2017 जयपुर दिनांक 29.01.2018 द्वारा उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग में अति पिछड़ा वर्ग की उपरोक्त जातियों को राज्य में शैक्षणिक संस्थाओं की सीटों में प्रवेश एवं राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों एवं पदों में एक प्रतिशत अतिरिक्त आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

उपरोक्त वर्णित प्रावधानों के अनुसार उक्त वर्णित जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र के आधार पर उभय अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग का लाभ देय होगा।

(जे.सी. महान्ति)

अतिरिक्त मुख्य सचिव

27/2

क्रमांक :एफ11(125)एमबीसी/आरएण्डपी/ सान्याअवि/2012/

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1) प्रमुख शासन सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर
- 2) प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार जयपुर
- 3) वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर
- 4) अध्यक्ष राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर
- 5) विशिष्ट सहायक, समस्त मंत्रीगण / राज्य मंत्रीगण राजस्थान सरकार जयपुर
- 6) समस्त अतिरिक्त/ प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर
- 7) समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान सरकार, जयपुर
- 8) सचिव, राजस्थान विधानसभा, शासन सचिवालय, जयपुर
- 9) सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान जयपुर
- 10) सचिव, राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड जयपुर राज
- 11) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग जयपुर, राज
- 12) समस्त संभागीय आयुक्त.....
- 13) समस्त जिला कलक्टर.....
- 14) समस्त जिला पुलिस अधिक्षक.....
- 15) सचिव समस्त आयोग / बोर्ड.....
- 16) ए.सी.पी. मुख्यावास सान्याअवि को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु एवं समस्त संबंधित को ई-मेल करने बाबत
- 17) समस्त प्रभारी अधिकारी मुख्यावास/उप निदेशक/ सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग.....
- 18) गार्ड फाईल।

(डॉ. समित शर्मा)

निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

**राजस्थान सरकार**  
**सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग**  
जी ३/१, राजमहल रेजीडेंसी एरिया, सिविल स्ट्रीन्स फास्टफ, जयपुर।  
क्रमांक एफ ११(१२५)एमबीसी/आरएण्डपी/ सान्याअवि/२०१२/४२८८ जयपुर दिनांक २३/१२/१८

**परिपत्र**

विधि विभाग की अधिसूचना रख्या एक २(४८)/विधि/२/२०१७ जयपुर दिनांक १७.११.२०१७ में वर्णित राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य में शैक्षणिक संस्थाओं की सीटों में प्रवेश एवं राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों एवं पदों में आरक्षण) अधिनियम २०१७ की घारा २ ढी, एक में अति पिछड़ा वर्ग को अनुसूची में वर्णित किया गया है जिसके अन्तर्गत पांच जातियों यथा १.बजारा, बालदिया, लबाना २.गाडिया लोहार, गाडोलिया ३.गुजर, गुर्जर ४.राईका, रैबारी, देवारी ५.गडरिया(गाडरी),गायरी को रखा गया है।

कार्मिक विभाग द्वारा जारी की गयी अधिसूचना क्रमांक एफ ७(१)/झीओपी/४-२/२०१७ जयपुर दिनांक २१.१२.२०१७ के द्वारा अति पिछड़ा वर्ग को राज्य में शैक्षणिक संस्थाओं की सीटों में प्रवेश एवं राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों एवं पदों में एक प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार जिन व्यक्तियों के अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र में यदि उक्त जातियों का अंकन किया गया हो तो उपरोक्त जातियों के व्यक्तियों को उपर वर्णित प्रावधानों के अनुसार लाभ देय होगा।

(जे.सी. महान्त)

अतिरिक्त मुख्य सचिव

क्रमांक :एफ ११(१२५)एमबीसी/आरएण्डपी/ सान्याअवि/२०१२/४२८८-३६८ जयपुर दिनांक २३/१२/१८

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ हेतु प्रेषित है:-

- 1) प्रमुख शासन सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर
- 2) प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार जयपुर
- 3) वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर
- 4) अध्यक्ष राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर
- 5) विशिष्ट सहायक, समर्त मंत्रीगण / राज्य मंत्रीगण राजस्थान सरकार जयपुर
- 6) समर्त अतिरिक्त / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर
- 7) समर्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान सरकार, जयपुर
- 8) सचिव, राजस्थान विधानसभा, शासन सचिवालय, जयपुर
- 9) सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान जयपुर
- 10) सचिव, राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड जयपुर राज०
- 11) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग जयपुर, राज०
- 12) समस्त संभागीय आयुक्त.....
- 13) समस्त जिला कलक्टर.....
- 14) समस्त जिला पुलिस अधिकारी.....
- 15) सचिव समस्त आयोग / बोर्ड.....
- 16) उप निदेशक / सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग.....
- 17) गार्ड फाईल।

अतिरिक्त मुख्य सचिव